

सार्वजनिक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर की सुरक्षा
संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

**PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION
OF INFORMER RESOLUTION, 2024 (PIDPI)**



पीआईडीपीआई क्या है?

What is PIDPI?

- पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है?
- PIDPI is a resolution of Government of India.
- पीआईडीपीआई के तहत दर्ज सभी शिकायतों के शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
- Identity of the complainant is kept confidential for all complaints lodged under it.

पीआईडीपीआई
शिकायत कैसे दर्ज की
जाती है?

HOW IS PIDPI
COMPLAINT
FILED?

- सभी शिकायतें सचिव, मुख्य सतर्कता आयोग को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे के ऊपर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए।
- The Complaint should be addressed to Secretary, CVC and the envelope should be superscribed as "PIDPI"
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं बल्कि अंदर बंद लिफाफे में लिखे पत्र में लिखा जाना चाहिए।
- Name and Address of the complainant should NOT be mentioned on the envelope but in the letter inside in a closed cover.

शिकायतकर्ता की
पहचान संबंधी
गोपनीयता सुनिश्चित
करने के लिए
दिशानिर्देश

GUIDELINES TO
ENSURE IDENTITY
OF
COMPLAINANT
REMAINS
CONFIDENTIAL

- जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनमें पहचान का खुलासा हो सकता है
- Complaints that are personally related to the complainant or addressed to other authorities may lead to disclosure of identity.
- शिकायतें खुले लिफाफे में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए
- Complaints should not be sent in open condition or on public portal.
- पहचान बताने वाले दस्तावेजों को शिकायत में संलग्न या उल्लेखित नहीं किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज
- Documents that reveal identity should not be enclosed or mentioned in the complaint. Eg.: documents received under RTI.
- पुष्टि के लिए लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता का उल्लेख किया जाना चाहिए
- Name and Address should be mentioned on the letter inside the envelope for confirmation purposed.
- जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई है उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- Complaints where confirmation is not received are closed.
- गुमनाम/छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा
- Anonymous/pseudonymous letters are not entertained.